रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939
No. 144] NEW DELHI, FARIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सा.का.नि 234(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा करने के पश्चात्, तारीख 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (2) में, -

(i) खंड (ग) में, "नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ड.) में, " परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(iii) खंड (च) में, "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियम में, नियम 4 में, -

(i) खंड (ग) में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या राष्ट्रीय" से शुरू होने वाले तथा "सुविधा में भेजेगा; से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या स्वास्थ्य परिचर्या कार्य-कलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों और डब्ल्यूएचओ ब्लू बुक, 2014 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोगशाला अपशिष्ट, माइक्रोबायोलाजिकल अपशिष्ट, रक्त के नमूनों और रक्त की थैलियों का विसंक्रमण अथवा जीवाणुनाशन के ज़रिए स्थल पर पूर्व शोधन करेगा और उसके बाद अंतिम निपटान के लिए साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा में भेजेगा;"

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:-

"(घ) 27 मार्च, 2019 तक क्लोरीनेटड प्लास्टिक की थैलियों (रक्त की थैलियों को छोड़कर) और दस्तानों के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना;"

(iii) खंड (झ) में, "इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए रखना" शब्दों के स्थान पर" केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तारीख 27 मार्च, 2019 तक और शोधन तथा निपटान के लिए" शब्दों एवं अंकों को रखा जाएगा;

(iv) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(त), सभी स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाएं (चाहे वहां बिस्तरों की संख्या कितनी भी हो) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी"।

4. मूल नियमों में, नियम (5) में, खंड (ग) में, "एक वर्ष के अंदर" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 27 मार्च, 2019 तक" शब्दों, अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 7 में, खंड (8) में -

(क) "गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

6. मूल नियमों में, नियम 13 में, उप-नियम (2) में, "को या उसके पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को" शब्दों के स्थान पर "से पूर्व प्रपत्र IV क में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

7. मूल नियमों की अनुसूची I में, -

(क) भाग 1 के अधीन दी गई सारणी में -

(i) 'पीला' श्रेणी के सामने, -

(क) स्तंभ (2) के अधीन मद (छ) में, "शारीरिक द्रव" शब्दों के पश्चात्, "दैनिक मास्क और गाउन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ज) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव या हाइड्रोक्लेव सुरक्षित प्लास्टिक की थैलियां या आधान"

(ग) मद (ज) में स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि में, "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार" से शुरू हो रहे तथा "भस्मीकरण के लिए" पर समाप्त हो रहे भाग के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात :-

"इसके बाद भस्मन के लिए स्वास्थ्य देखरेख कार्यकलापों से अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों और डब्ल्यूएचओ ब्लू बुक, 2014 के अनुसार स्थल पर गैर-क्लोरीनीकृत रसायनों से पूर्व उपचारित अथवा स्टेरेलाइज:-

(ii) 'नीली श्रेणी के सामने -

(क) मद (क) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :-

"(क) नीले रंग की मार्किंग वाले पंक्चर प्रूफ और लीक प्रूफ बक्से या आधान";

(ख) मद (ख) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :-

"(ख) नीले रंग की मार्किंग वाले पंक्चर प्रूफ और लीक प्रूफ बक्से या आधान";

(iii) टिप्पण में, शब्दों और आंकड़ों "अनुसूची-III" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "अनुसूची-II" रखे जाएंगे;

(ख) भाग-2 में, मद (2) में, आंकड़ों "10%" के स्थान पर, आंकड़े "1% से 2% तक" रखे जाएंगे;

8. मूल नियमों की अनुसूची-II में,-

(i) क्रम संख्या 1 में, "उत्सर्जन मानक" से संबंधित भाग ख के अधीन सारणी में, स्तंभ (3) के शीर्षक में, "$mgNm^3$" अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर, अक्षर और आंकड़े "mg/Nm^3" रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 8 में, मद (1) में, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"टिप्पण -

1. उपरोक्त सीमाएं, उन स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं (बिस्तर वाली) के मालिकों पर लागू है, जो या तो टर्मिनल पर मलजल शोधन संयंत्र रहित मल-निर्यास नेटवर्क से जुड़ी हैं या सार्वजनिक सीवरों से नहीं जुड़ी हैं।

2. टर्मिनल सुविधाओं वाले सार्वजनिक सीवरों में निस्सारण हेतु, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत यथा अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।

3. 10 बिस्तरों से कम वाली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को 31 दिसम्बर, 2019 तक मलजल शोधन संयंत्र संस्थापित करने होंगे।

4. बिना बिस्तर वाली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के मालिक, मूल नियमों की अनुसूची-II (6) के अनुसार विसंक्रमण द्वारा उपचार के बाद ही संक्रमित द्रव अपशिष्ट का निपटान करेंगे।"

9. मूल नियमों की अनुसूची-III में,-

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (3) के अधीन मद (i) में, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 9)" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 10)" रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (3) के अधीन मद (viii) में, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 9)" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 12)" रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों में, प्रारूप IV के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"प्रारूप IV क

[नियम 13 (2) देखें]

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट संबंधी सूचना के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रारूप (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों और महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं द्वारा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि के लिए हर वर्ष की 31 जुलाई तक अथवा उसके पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है)।

भाग-I (सूचना का सारांश)

(1) संगठन का नाम- :

(2) नोडल अधिकारी का नाम, टेलीफोन सं. और ई-मेल पते सहित - :

(3) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/अधिभोगियों की कुल संख्या– :

(i) बिस्तर युक्त अस्पताल और नर्सिंग होम (बिस्तर युक्त) :

(ii) क्लीनिक, औषधालय :

(iii) पशु चिकित्सा संस्थान :

(iv) पशु आश्रय गृह :

(v) पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं :

(vi) रक्त बैंक :

(vii) क्लीनिकल प्रतिष्ठान :

(viii) अनुसंधान संस्थान :

(ix) आयुष :

(4) बिस्तरों की कुल संख्या :

(5) प्राधिकार की स्थिति :

(i) प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाले अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :

(ii) प्राधिकार प्रदान किए गए अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :

(iii) विचाराधीन आवेदन पत्रों की कुल संख्या :

(iv) अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या :

(v) प्राधिकार के लिए बिना आवेदन प्रचालन कर रहे अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :

(6) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सृजन की मात्रा (किग्रा/दिन में) :

(कृपया भाग-2 के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सृजन संबंधी जिला-वार सूचना संलग्न करें)

(i) बिस्तरों की सुविधाओं से युक्त अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (किलो/प्रतिदिन में):

(ii) बिस्तरों की सुविधाओं के बिना अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (किलो/प्रतिदिन में):

(iii) कोई अन्य :

कुल ....प्रति कि./दिन

(7) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन और निपटान :

(क) कैप्टिव जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन द्वारा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों द्वारा निपटान (कृपया भाग-3 के अनुसार ब्यौरा संलग्न करें):

(i) कैप्टिव शोधन और निपटान सुविधाओं युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों की संख्या:

(ii) कैप्टिव शोधन सुविधाओं द्वारा शोधित और निपटान की गई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (कि.ग्राम/दिन में):

(ख) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं द्वारा शोधित और निपटान की गई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (कृपया भाग 4 के अनुसार ब्यौरा संलग्न करें) :

(i) प्रचालन कर रहे साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की संख्या :

(ii) निर्माणाधीन साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की संख्या :

(iii) शोधित किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (कि.ग्रा/दिन में) :

(iv) प्राधिकृत पुनचर्क्रणकर्ताओं के माध्यम से निपटान किए गए शोधित किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (किग्रा/दिन में):

(8) निम्नलिखित द्वारा उल्लंघन किए गए मामलों की कुल संख्या :

(i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों (बिस्तर की सुविधाओं सहित और बिना बिस्तर की सुविधाओं के):

(ii) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा केन्द्रों :

(iii) अन्यों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

(9) चूककर्ताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस/निदेश :

(i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों (बिस्तर की सुविधा वाले और बिना बिस्तर की सुविधा वाले)

(ii) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा केन्द्रों :

(iii) अन्य

(10) कोई अन्य संगत सूचना :

(i) वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की संख्या :

(ii) संस्थापित तरल अपशिष्ट शोधन सुविधा युक्त अधिभोक्ताओं की संख्या :

(iii) उन कैप्टिव भस्मीकरण यंत्रों की संख्या जो मानकों का अनुपालन कर रहे हैं: :

(iv) उन अधिभोक्ताओं की संख्या, जिन्होंने प्रशिक्षण आयोजित किया है :

(v) उन अधिभोक्ताओं की संख्या, जिन्होंने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समितियां गठित की हैं :

(vi) उन अधिभोक्ताओं की संख्या, जिन्होंने पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

(vii) उन अधिभोक्ताओं की संख्या, जो प्रयोगशाला माइक्रोबायोलॉजी और जैव-प्रौद्योगिकी अपशिष्ट की पूर्व-शोधन की प्रक्रिया अपना रहे हैं:

(viii) उन साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा केन्द्रों की संख्या, जिन्होंने सतत ऑनलाईन उत्सर्जन मानीटरी प्रणाली संस्थापित की है:

भाग 2: जिला-वार जैव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन (पूर्व कैलेंडर वर्ष के लिए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	जैव- चिकित्सा अपशिष्ट सृजन (कि.ग्रा./प्रतिदिन)	विद्यमान कुल चिकित्सा अपशिष्ट उपचार क्षमता (कैप्टिव तथा सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) कि.ग्रा./प्रतिदिन	
				उपस्कर	कुल
				भष्मक	
				ऑटोक्लेव:	
				गहरा	
				दफन:	
				कोई अन्य	

भाग 3: कैप्टिव उपचार सुविधाओं वाली स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं (पूर्व कैलेंडर वर्ष के लिए)

क्र.सं.	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा का नाम और पता	जैव- चिकित्सा अपशिष्ट सुजन की मात्रा कि.ग्रा./ (प्रतिदिन)					कुल स्थापित उपचार सुविधाएं) कि.ग्रा./प्रतिदिन				स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं द्वारा उपचारित और निपटाए गए कुल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट
		पीला	लाल	नीला	सफेद	कुल सृजित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (कि.ग्रा./प्रति दिन)	भष्मक	ऑटोक्लेव	गहरा दफन	कोई अन्य	

											भष्मक	
											आटोक्लेव	
											गहरा	
											दफन	
											काई अन्य	
											कुल:	

भाग 4: साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं (पूर्व कैलेंडर वर्ष के लिए)

क्र.सं.	संपर्क व्यक्ति के नाम और दूरभाष सहित साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का नाम और पता	जीपीएस निर्देशांक	कवरेज क्षेत्र, कि.मी. में	साझा जैव चिकित्सा उपचार सुविधाओं के तहत शामिल शहरों/क्षेत्रों का नाम	शामिल की जा रही स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं की कुल सं.	शामिल बिस्तरों की कुल सं.	सदस्य, स्वास्थ्य सुविधाओं से एकत्रित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा	साझा जैव-चिकित्सा उपचार सुविधाओं द्वारा स्थापित उपचार उपस्करों की क्षमता			कुल उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (कि.मी./प्रति दिन)	उपचारित अपशिष्टों के निपटान की पद्धति (भष्मक राख/शार्प/ प्लास्टिक)
								उपस्कर	संख्या	कुल संस्थापित क्षमता (कि.ग्रा/प्रति दिन)		
								भष्मक				भष्मक राख : मात्रा: के द्वारा निपटान किया गया :
								प्लाज्मा पाइरोलिसिस				
								ऑटोक्लेव				शार्प: मात्रा: के द्वारा निपटान किया गया:
								हाइड्रोक्लेव				
								माइक्रोवेव				प्लास्टिक: मात्रा: के द्वारा निपटान किया गया:
								श्रेडर				
								शार्प इनकैप्सुलेशन या कंकरीट पीट				
								गहरे दफनाने के लिए गढ्ढे				ईटीपी कीचड़: मात्रा: के द्वारा निपटान किया गया:
								कोई अन्य उपस्कर				
								बहिस्राव शोधन संयंत्र				
								उप-योग				

(क) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं द्वारा दैनिक आधार पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह के लिए प्रयोग किये जाने वाले परिवहन वाहनों की कुल सं.

(ख) स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं की सूची जो न तो साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की और न ही कैप्टिव उपचार सुविधाओं की सदस्य हैं

(ग) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालकों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या

(घ) साझा जैव-चिकित्सा सुविधाओं द्वारा सूचित की गई दुर्घटनाओं की संख्या"

[फा. सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]

रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

G.S.R. 234 (E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (2),–

(i) in clause (c), for the words, brackets and figures "Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000", the words and figures "Solid Waste Management Rules, 2016" shall be substituted;

(ii) in clause (e), for the words, brackets and figures "Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008", the words, brackets and figures "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016", shall be substituted; and

(iii) in clause (f), for the words, brackets and figures "E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011", the words, brackets and figures "E-Waste (Management) Rules, 2016", shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 4,–

(i) in clause (c), for the portion beginning with "or National and ending with final disposal", the following shall be substituted, namely:–

"(c), guidelines on Safe management of wastes from health care activities and WHO Blue Book, 2014 and then sent to the Common bio-medical waste treatment facility for final disposal;".

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:–

"(d) phase out use of chlorinated plastic bags (excluding blood bags) and gloves by the 27th March, 2019;".

(iii) in clause (i), for the words "place for any purpose within one year from the date of the notification of these rules", the words and figures "for the further treatment and disposal in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board by 27th March, 2019" shall be substituted;

(iv) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:–

"(p) ,all the health care facilities (any number of beds) shall make available the annual report on its web-site within a period of two years from the date of publication of Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018;".

4. In the principal rules, in rule (5), in clause (c), for the words "within one year", the words, letters and figures "in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board by 27th March, 2019" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 7, in clause (8),–

(a) for the words "phase out use of non-chlorinated plastic bags", the words "phase out use of chlorinated plastic bags" shall be substituted;

(b) for the words and figures "the Plastic Waste Management Rules, 2011", the words and figures "the Plastic Waste Management Rules, 2016" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 13, in sub-rule (2), for the words "Central Pollution Control Board on or before", the words, figures, brackets and letter "Central Pollution Control Board in Form IVA before" shall be substituted.

7. In the Schedule I to the principal rules,–

(a) in the Table under part 1–

(i) against the category yellow,–

(A) in item (g) under column (2), after the words "body fluid", the words ", routine mask and gown" shall be inserted;

(B) against item (h), for the entry under column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

"Autoclave or Microwave or Hydroclave safe plastic bags or containers";

(C) against item (h), in the entry under column (4), for the portion beginning with "as per National AIDS Control Organisation", and ending with "for incineration", the following shall be substituted, namely:–

"as per World Health Organisation guidelines on Safe management of wastes from health care activities and WHO Blue Book, 2014 and thereafter sent for incineration";

(ii) against the category blue–

(A) against item (a), for the entry under column (3), the following item shall be substituted, namely:–

"(a) Puncture proof and leak proof boxes or containers with blue colored marking";

(B) against item (b) for the entry under column (3), the following item shall be substituted, namely:–

"(b) Puncture proof and leak proof boxes or containers with blue colored marking";

(iii) in the Note, for the word and figures "Schedule - III", the word and figures "Schedule – II" shall be substituted;

(b) in Part – 2, in item (2), for the figures "10 %", the figures "1% to 2%" shall be substituted;

8. In Schedule II to the principal rules,–

(i) in serial number 1, in the Table under Part B relating to "Emission Standards", in column heading under (3), for the letters and figure "$mgNm^3$" the letters and figure "mg/Nm^3" shall be substituted;

(ii) in serial number 8, in item (1), the following Note shall be inserted, namely:–

"*Note–*

1. Above limits are applicable to the occupiers of Health Care Facilities (bedded) which are either connected with sewerage network without terminal sewage treatment plant or not connected to public sewers.

2. For discharge into public sewers with terminal facilities, the general standards as notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall be applicable.

3 Health Care Facilities having less than ten beds shall have to install Sewage Treatment Plant by the 31st December, 2019.

4 Non-bedded occupiers shall dispose infectious liquid wastes only after treatment by disinfection as per Schedule – II (6) of the principal rules.".

9. In Schedule - III to the principal rules,–

(i) against serial number 3, in item (i) under column (3), for the brackets, word and figure "(Rule 9)", the brackets, word and figure "(Rule 10)" shall be substituted;

(ii) against serial number 4, in item (viii) under column (3), for the brackets, word and figure "(Rule 9)", the brackets, word and figure "(Rule 12)" shall be substituted.

10. In the principal rules, after Form IV, the following Form shall be inserted, namely:–

"Form IVA

[See rule 13(2)]

Format for Submission of the Annual Report Information on Bio-medical Waste Management (to be submitted by the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees and Director General Armed Forces Medical Services to Central Pollution Control Board on or before 31st July of every year for the period from January to December of the preceding calendar year)

Part-1 (Summary of Information)

(1) Name of the Organisation :

(2) Name of the Nodal Officer with contact telephone number and e-mail :

(3) Total no. of Health Care Facilities / Occupiers :

(i) Bedded Hospitals and Nursing Homes (bedded) :

(ii) Clinics, dispensaries :

(iii) Veterinary institutions :

(iv) Animal houses :

(v) Pathological laboratories :

(vi) Blood banks :

(vii) Clinical establishment :

(viii) Research Institutions :

(ix) AYUSH

(4) Total no. of beds :

(5) Status of authorisation :

(i) Total number of Occupiers applied for authorisation :

(ii) Total number of Occupiers granted authorisation :

(iii) Total number of application under consideration :

(iv) Total number of applications rejected :

(v) Total number of Occupiers in operation without applying for authorisation :

(6) Quantity of Bio-medical Waste Generation (in kg/day) :

(please enclose District Wise Bio-medical Waste Generation as per Part-2)

(i) Bio-medical waste generation by bedded hospitals(in kg/day) :

(ii) Bio-medical waste generation by non-bedded hospitals (in kg/day) :

(iii) Any other :

Total : ______ Kg/day

(7) Bio-medical waste treatment and disposal

(a) By Captive bio-medical waste treatment and disposal by Health Care Facilities (please enclose details as per Part-3)

(i) Number of Health Care Facilities having captive treatment and Disposal facilities :

(ii) Total bio-medical waste treated and disposed by captive treatment facilities in kg/day :

(b) Bio-medical waste treatment and disposal by Common Bio Medical Waste Treatment Facilities (please enclose details as per Part 4)

(i) Number of Common Bio Medical Waste Treatment Facilities in Operation :

(ii) Number of Common Bio Medical Waste Treatment Facilities under construction :

(iii) Total bio-medical waste treated in kg/day :

(iv) Total treated bio-medical waste disposed through authorised recyclers (in Kg/day) :

(8) Total no. of violation by :

(i) Health Care Facilities (bedded and non-bedded) :

(ii) Common Bio Medical Waste Treatment Facilities :

(iii) Others (please specify) :

(9) Show cause notices/directions issued to defaulters :

(i) Health Care Facilities (bedded and non-bedded) :

(ii) Common Bio Medical Waste Treatment Facilities :

(iii) Others :

(10) Any other relevant information:

(i) Number of workshops / trainings conducted during the year :

(ii) Number of occupiers installed liquid waste treatment facility :

(iii) Number of captive incinerators complying to the norms :

(iv) Number of occupiers organised trainings :

(v) Number of occupiers constituted Bio-medical Waste Management Committees :

(vi) Number of occupiers submitted Annual Report for the previous calendar year :

(vii) Number of occupiers practising pre-treatment of lab microbiology and Bio-technology waste :

(viii) Number of Common Bio Medical Waste Treatment Facilities that have installed Continuous Online Emission Monitoring Systems :

Part 2: District-wise Bio-medical Waste Generation (for the previous calendar year ......)

S. No.	Name of the State / Union Territory	Name of the District	Bio-medical Waste Generation (in Kg/day)	Existing Total bio-medical waste treatment capacity (both captive and CBMWTF)in kg/day	
				Equipment	Total
				Incinerator:	
				Autoclave:	
				Deep	
				Burial:	
				Any other:	

Part 3 : Information on Health Care Facilities having captive treatment facilities (for the previous calendar Year ....)

S. No.	Name and address of the Health Care Facility	Quantity of Bio-medical Waste Generation (in kg/day)					Total Installed Treatment Capacity in kg/day				Total bio-medical waste treated and disposed by Health Care Facilities in kg/day	
		Yellow	Red	Blue	White	Total bio-medical waste generated (in kg/day)	Incinerator	Autoclave	Deep Burial	Any other		
											Incinerator:	
											Autoclave:	
											Deep	
											Burial:	
											Any other:	
											Total:	

Part 4: Information on Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities (for the previous calendar Year .....)

S. No.	Name and Address of the Common Bio	GPS Coordinates	Coverage Area in KMS	Name of the cities/ areas covered	Total number of Health Care Facilities	Total number of beds covered	Total Quantity of Bio-Medical Waste	Capacity of Treatment equipments installed by Common Bio Medical Waste Treatment Facilities	Total Bio-Medical waste treated in	Method of Disposal of treated wastes (Incineration Ash/Sharps/Plas

	Medical Waste Treatment Facilities with contact person name and telephone number			by Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities	being covered		collected from member Health Care Facilities (in Kg/day)	Equipment	Numbers	Total installed capacity (kg/day)	kg/day	tics)
								Incinerator				Incineration Ash: Quantity: Disposed by:
								Plasma Pyrolysis				
								Autoclave				Sharps: Quantity: Disposed by:
								Hydroclave				
								Microwave				Plastics: Quantity: Disposed by:
								Shredder				
								Sharps encapsulation or concrete pit				
								Deep burial pits				ETP Sludge: Quantity: Disposed by:
								Any other equipment				
								Effluent Treatment Plant				
								Sub-total				

(a) Total Number of transportation vehicles used for collection of Bio-medical Waste on daily basis by the Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities:

(b) List of Health Care Facilities not having membership with the Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities and neither having captive treatment facilities:

(c) Number of trainings organised by the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility operators:

(d) Number of Accidents **reported by the Common Bio Medical Waste Treatment Facilities:”.**

[F. No. 3-1/2000-HSMD]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II–Section 3–Sub-section (i), vide G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.19 21:36:58 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2019/वैशाख 23, 1941
No. 300] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2019/VAISAKHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का. नि. 360(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, खण्ड (घ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण –** शंकाओं के दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियों" अभिव्यक्ति में मूत्र थैलियां, बहि:स्राव थैलियां, उदरीय थैलियां और वक्षीय जल निकास थैलियां सम्मिलित नहीं होंगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 3 की क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) की मद सं. (vii) में, जो "महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआइ) कक्षों, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्रों तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पतालों को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी (नियम 9)" में "(vii)" कोष्ठक औरअंक के स्थान पर "(viii)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]

अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख, 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 और सं. सा.का.नि. 129 (अ) 19 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:–

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in clause (d), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "Chlorinated plastic bags" shall not include urine bags, effluent bags, abdominal bags and chest drainage bags.".

3. In Schedule III to the said rules, against serial number 3, in column (3), in item (viii), for the brackets and letters "(viii)", the brackets and letters "(vii)" shall be substituted.

[F. No. 3-1/2000-HSMD]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 234(E), dated the 16th March, 2018 and number G.S.R. 129(E), dated the 19th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940
No. 113] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 129(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात्, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, -

(i) खंड (ढ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ढ), सभी बिस्तरयुक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में, दिन-प्रतिदिन के आधार पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर रखे और उसे अद्यतन करे और अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं रंग की कोडिंग की दृष्टि से सृजित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के अनुसार मासिक अभिलेख को बेवसाइट पर प्रदर्शित करें;"

(ii) खंड (त) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(त), सभी बिस्तरयुक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में, (चाहे बिस्तरों की संख्या कितनी भी हो), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के अंदर अपनी बेवसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं;"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, क्रम सं. 8 के सामने, मद सं. (1) में, टिप्पण में, खंड-3 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. दस बिस्तरों से कम वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को 31 दिसम्बर, 2019 की तारीख तक द्रव अपशिष्ट पदार्थ के लिए आउटपुट स्राव मानक का अनुपालन करना होगा।

4. उक्त नियमों की अनुसूची-III में,-

(i) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ (3) में, मद सं. (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतर्लिखित की जाएगी, अर्थात्:-

"(vii) महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआई) कक्ष, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्र तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पताल का निरीक्षण और निगरानी।"

(ii) क्र.सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) में, मद सं. (viii) के लिए, निम्नलिखित मद अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात्:-

"(vii) महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआई) कक्षों, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्रों तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पतालों को छोडकर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी (नियम-9)।"

[फा.सं.3-1/2000-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (herein after referred to as the said rules), in rule 4,-

(i) For clause (n), the following clause, shall be substituted, namely:-

"(n) ,in case of all bedded health care units, maintain and update on day to day basis the bio-medical waste management register and display the monthly record on its website according to the bio-medical waste generated in terms of category and colour coding as specified in Schedule I;";

(ii) For clause (p), the following clause shall be substituted, namely:-

"(p) ,in case of all bedded health care facilities (any number of beds), make available the annual report on its web-site within a period of two years from the date of publication of the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018;".

3. In Schedule II to the said rules, against serial number 8, in item (1), in the Note, for clause 3, the following clause shall be substituted, namely: -

"*3. Health Care Facilities having less than ten beds shall have to comply with the output discharge standard for liquid waste by 31st December, 2019.*"

4. In Schedule III to the said rules, -

(i) Against serial number 3, in column (3), after item (vi), the following item shall be inserted, namely: -

"(viii) Inspection and monitoring of Medical Inspection (MI) rooms, sick bays onboard ships or submarines, station medical centres and field hospitals in forward locations operated by the Director General, Armed Force Medical Services.";

(ii) Against serial number 4, in column (3), for item (viii), the following item shall be is substituted, namely: -

"(viii) Inspection and monitoring of health care facilities other than Medical Inspection (MI) rooms, sick bays on board ships or submarines, station medical centres and field hospitals in forward locations operated by the Director General, Armed Forces Medical Services (Rule-9).".

[F. No. 3-1/2000-HSMD]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 234(E), dated the 16th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.